

184
2021

जा 1 एल 30

16-11-2021
APP-A
crim-1

FORM NO. III


2021
361

फर्द अहकाम (नियम-26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा नियम

..... कायम रया बनाम शाहजान सरपंच जिल्हा तहसील जिल्हा पंचायत

किस्म मुकदमा 88/27A नं. 138 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.9.21	<p>वादी/वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री. <u>उमरदीन मेहर</u> ने अन्तर्गत धारा <u>88/27A</u> का पेश किया। जिस पत्र कार्यालय रिपोर्ट हो। प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्मन मय वाद पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/ जवाबदावा दिनांक <u>30.10.21</u> को पेश हो।</p>	
30.10.21	<p>वादी के वकील उमरदीन मेहर ने पत्रावली काईदा प्रशासन गंतों के संग कमिशन केम कोर्ट जवाहरपुरा में दिनांक 16.11.2021 को पेश है।</p>	
16.11.2021	<p>प्रशासन गंतों के संग कमिशन केम कोर्ट जवाहरपुरा में जवाबदारी पेश हुई। सरपंच शाहजान जवाहरपुरा स्वयं उपस्थित।</p>	<p>पैठासीन अधिकारी उपस्थित अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा, प्रशासन गंतों के संग अभियान 2021 केम्य ग्राम पंचायत प.स.</p> <p>निरेश सुनी</p> <p>कमिशन खान खिचन सरपंच जवाहरपुरा (वाकफेंस)</p>
	<p>वादी स्वयं को सुना गया</p>	<p>पैठासीन अधिकारी उपस्थित अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा, प्रशासन गंतों के संग अभियान 2021 केम्य ग्राम पंचायत प.स.</p> <p>निरेश सुनी</p>



तारीख
हुक्म

रामसु बेरुड के जे. पु. राममान
के लिकिन मोके पर कश्चिस्तान
के डू के जिले हुकदली कराने
का निवेदन किया गया।

रहमीलदा, पंचपदरा ने इसमें
कोई आपत्ति नहीं की जाहिर
किया।

वादी के गड के स्वीकार कर
माना जवाहरपुरा के खसरा नंबर
883 रकबा 03.05 बीला की जिले
जे. पु. राममान के स्थान पर जे. पु.
कश्चिस्तान हुकदली की जाती है।
रहमीलदा पंचपदरा तदा हुकदली
करना इतिविचार करें।
पंचपदरी मोसल हुकदली केवल नमूने
कर दें।
निर्णय मामले जात कोई केसपत्र
के हुकामा गया।



(निर्णय सील)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021
कैम्प ग्राम पंचायत पस